तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/6/25	वकील वादी उप०/ वास्ते पुन बहस हेतु पत्रावली दिनांक 8/7/25 को पेश हो/
8/7/25	श्रीमान जिला कलक्टर महोदय दौसा के आदेश क्रमांक: डीएन/कोर्ट/2025/1683-89 दिनांक 01-07-2025 की पालना में पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी दौसा के न्यायालय में स्थानान्तरित की जाती है। पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा में दिनांक 6/11/25 को पेश हो।
16/7/25	यह पत्रावली न्यायालय सहायक कलेक्टर दौसा से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुयी है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 6/11/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, दौसा
12/8/25	श्रीमान जिला कलक्टर महोदय दौसा के आदेश क्रमांक डीएन/कोर्ट/2025/1974-80 दिनांक 30.07.2025 की पालना में इस पत्रावली का स्थानान्तरण न्यायालय सहायक कलक्टर, दौसा को किया जाता है। पत्रावली दिनांक 6/11/25 को सहायक कलक्टर के समक्ष पेश हो। उपखण्ड अधिकारी दौसा
14/8/25	यह पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा से स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 6/11/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर दौसा
6/11/25	वकील श्री सुनील कुमार शर्मा ने वादी की ओर से वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया/ वास्ते पुन: बहस हेतु/ पत्रावली दिनांक 14/11/25 को पेश हो/
14/11/25	आज PO साहब अन्य काम मे/मीटिंग/ दौरे मे/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना मे दिनाक 24/11/25 को पेश हो।
24/11/25	आज PO साहब अन्य काम मे/मीटिंग/ दौरे मे/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना मे दिनाक 12/12/25 को पेश हो।
12/12/25	आज PO साहब अन्य काम मे/मीटिंग/ दौरे मे/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना मे दिनाक 23/12/25 को पेश हो।

AAP-A

Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा ....

रामेश्वर प्रसाद .... बनाम .... ममता वगै०

किस्म मुकदमानं0 .... 653/2018 दावा .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/12/25	आज PO साहब अन्य काम मे/मीटिंग/ दौरे मे/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना मे दिनाक 8/1/26 को पेश हों। (हस्ताक्षर)	
8/1/26	वकील वादी उप०/ बहस सुनी वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 30/1/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
30/1/26	आज PO साहब अन्य काम मे/मीटिंग/ दौरे मे/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना मे दिनाक 10/2/26 को पेश हों। (हस्ताक्षर)	
10/2/26	वकील वादी उप०/ पृथक से निर्णय लिखा जाकर पत्रावली में शामिल मिसल किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व लेख भण्डार हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर दौसा, जिला दौसा	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर दौसा....................मुकाम..............दौसा....................
व इजलास....................श्री संजू मीना, आर.ए.एस. ....
....................रामेश्वर प्रसाद ....बनाम....................ममता वगै0 शेष पृष्ठ पर

दावा बाबत..... तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 87....सन्.......2025 (पुराना नं0 653/2018)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........श्री संजू मीना, आर.ए.एस व हाजिरी .... श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता वादी....................मिनजानिब मुद्दई रूबरू............मिनजानिब व मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वाद वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है कि तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य भूमि ख.न. 1282 रकबा 2.06 है0 वाके ग्राम जसोता पटवार हल्का जसोता भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र जसोता तहसील दौसा का तकासमा किये जाने के आदेश तहसीलदार दौसा को दिये जाते है। तहसीलदार दौसा कुर्रेजात अनुसार वादी व प्रतिवादीगण (फौत हुए प्रतिवादीगण के वारिसान की विधिक जांच कर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार) के मध्य तकास्मा कर राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करना सुनिश्चित करें। कुर्रेजात उक्त फैसले का भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पालना हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो।

वादी:–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा	कि0 जमीन
1.	रामेश्वर प्रसाद पुत्र भैरुराम हिस्सा– 1/3 जाति बैरवा सा. देह खातेदार रंग – पीला	1282/3	0.6866	बारानी 1
		किता 01	0.6866	–

प्रतिवादी:–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा	कि0 जमीन
1.	1. गुलाबी पुत्री नहनूराम हिस्सा- 1/24 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार 2. छेटू पुत्र नहनूराम हिस्सा- 1/24 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार 3. भंवरीदेवी पत्नि नहनूराम हिस्सा- 1/24 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार 4. मुकेश पुत्र नहनूराम हिस्सा- 1/24 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार 5. राजू पुत्र नहनूराम हिस्सा- 1/24 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार 6. लच्छी पुत्री नहनूराम हिस्सा- 1/24 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार 7. ललिता पुत्री नहनूराम हिस्सा- 1/24 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार 8. विक्रम पुत्र नहनूराम हिस्सा- 1/24 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार रंग- हरा	1282/2	0.6867	बारानी 1
2.	1. शातिदेवी पत्नि स्व. रामधन हिस्सा– 8/81 जाति–बैरवा सा. देह खातेदार 2. जयराम पुत्र रामधन हिस्सा– 8/81 जाति– बैरवा सा. देह खातेदार 3. मदन पुत्र रामधन हिस्सा– 8/81 जाति– बैरवा सा. देह खातेदार 4. जतिन पुत्र बाबूलाल हिस्सा– 1/81 जाति– बैरवा सा. देह खातेदार 5. ममतादेवी पत्नि स्व. बाबूलाल हिस्सा– 1/81 जाति– बैरवा सा. देह खातेदार 6. मुस्कान पुत्र बाबूलाल हिस्सा– 1/81 जाति– बैरवा सा. देह खातेदार रंग– नीला	1282/1	0.6867	बारानी 1
		किता 02	1.3734	–

निज....................मुबलिग....................बाबत....................
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से, तारीख अदायगी तक....................का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख....10......माह.....02.......सन् .....2026......को जारी की गई।

दस्तखत....सहायक कलक्टर
ओहदा.......दौसा, जिला दौसा

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		

न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजू मीना (आर0 ए0 एस0)

मुकदमा नं0 :- 87/2025 (पुराना मु0 नं0 653/2018)

दायर दिनांक :- 04.09.2018

उनवान

1. रामेश्वर प्रसाद पुत्र भैरुराम } जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा

- (वादी)

कार्यालय सहायक कलक्टर दौसा, जिला दौसा

बनाम

1. ममता पत्नि बाबूलाल
2. जतीन पुत्र बाबूलाल
3. मुस्कान पुत्र बाबूलाल
4. भंवरी देवी पत्नि नहनूराम
5. राजू पुत्र नहनूराम
6. छोटू पुत्र नहनूराम
7. मुकेश पुत्र नहनूराम
8. विक्रम पुत्र नहनूराम
9. गुलाबी पुत्री नहनूराम
10. ललिता पुत्री नहनूराम
11. लच्छी पुत्री नहनूराम
12. जयराम पुत्र रामधन
13. मदन पुत्र रामधन
14. शान्ति देवी पत्नि रामधन

} समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम जसोता तहसील दौसा जिला दौसा (राज0)।

15. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दौसा, तहसील दौसा जिला दौसा, राज0।

- (प्रतिवादीगण)

उपस्थितिः- 1. श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता वादी।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आरटी एक्ट

:: निर्णय ::

कार्यालय सहायक कलक्टर दौसा जिला दौसा

दिनांकः 10.02.2026

वकील मय वादी ने एक वाद दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि ग्राम जसोता पटवार हल्का जसोता भू0अभि0नि0 क्षेत्र जसोता तहसील दौसा में स्थित भूमि आराजी खसरा नं0 1282 रकबा 2.06 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 2.06 है0, भूमि स्थित है। उक्त आराजियात भूमि के 1/3 हिस्से खातेदार व काबिज काश्तकार वादी है व शेष हिस्से के खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 14 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वाद में वकील वादी ने वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया हैः-

1. डिक्री तकास्मा इस प्रकार प्रदान करें की ग्राम जसोता पटवार हल्का जसोता भू0अभि0नि0 क्षेत्र जसोता तहसील दौसा में स्थित भूमि आराजी खसरा नं0 1282 रकबा 2.06 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 2.06 है0, के वादी के 1/3 हिस्से का व शेष हिस्से के खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 14 का राजस्व रिकार्ड के अनुसार सरस-नरस के आधार पर व कब्जे को ध्यान में रखते हुए कब्जे के आधार पर तकास्मा फरमाकर वादी का खाता तथा लगान अलग-अलग कायम कर पासबुक जारी की कृपा करें। उक्त 1/3 हिस्से की खोतदारी अलग से वादी के नाम दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड में अलग नम्बर कायम किया जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी नम्बर 1 लगा0 14 तथा प्रतिवादी सं0 15 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा को रजिस्टर ए.डी. के द्वारा सम्मन भिजवाये गये। बावजूद तामिल न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 14 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् वादी ने न्यायालय में तकास्मा हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने के लिए निवेदन किया। जिस पर प्राथमिक डिक्री मुकमदा इब्तदाई दिनांक 13.09.2022 को जारी की गई। न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को ग्राम जसोता पटवार हल्का जसोता भू0अभि0नि0 क्षेत्र जसोता तहसील दौसा में स्थित भूमि आराजी खसरा नं0 1282 रकबा 2.06 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 2.06 है0, भूमि के कुर्रेजात तैयार कर भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांकःकोर्ट/ 2022/803 दिनांक 31.10.2022 के द्वारा तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी की गई। जिसकी पालना में तहसीलदार दौसा के द्वारा कुर्रेजात तैयार कर पत्रांकः भू0अ0/2022/4868 दिनांक 08.12.2022 के द्वारा इस न्यायालय को दिनांक 10.01.2023 को निम्न प्रकार से पेश किये गयेः-

वादी :-

क्र.सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा	कि0 जमीन
1.	रामेश्वर प्रसाद पुत्र भैरुराम हिस्सा- 1/3 जाति बैरवा सा. देह खातेदार रंग - पीला	1282/3	0.6866	बारानी 1
		किता 01	**0.6866**	-

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

प्रतिवादीगण:-

क्र.स.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा	कि0 जमीन
1.	1. गुलाबी पुत्री नहनूराम हिस्सा- 1/24 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार 2. छोटू पुत्र नहनूराम हिस्सा- 1/24 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार 3. भंवरीदेवी पत्नि नहनूराम हिस्सा- 1/24 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार 4. मुकेश पुत्र नहनूराम हिस्सा- 1/24 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार 5. राजू पुत्र नहनूराम हिस्सा- 1/24 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार 6. लच्छी पुत्री नहनूराम हिस्सा- 1/24 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार 7. ललिता पुत्री नहनूराम हिस्सा- 1/24 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार 8. विक्रम पुत्र नहनूराम हिस्सा- 1/24 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार **रंग- हरा**	1282/2	0.6867	बारानी 1
2.	1. शांतिदेवी पत्नि स्व. रामधन हिस्सा- 8/81 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार 2. जयराम पुत्र रामधन हिस्सा- 8/81 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार 3. मदन पुत्र रामधन हिस्सा- 8/81 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार 4. जतिन पुत्र बाबूलाल हिस्सा- 1/81 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार 5. ममतादेवी पत्नि स्व. बाबूलाल हिस्सा- 1/81 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार 6. मुस्कान पुत्र बाबूलाल हिस्सा- 1/81 जाति- बैरवा सा. देह खातेदार **रंग- नीला**	1282/1	0.6867	बारानी 1
		किता 02	1.3734	-

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

तहसीलदार दौसा द्वारा पेश कुर्रेजात रिपोर्ट से पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 में दर्ज पक्षकारान की खातेदारी हिस्से व कुर्रेजात रिपोर्ट का मिलान किया गया राजस्व रिकार्ड में कुर्रेजात रिपोर्ट खसरा नम्बर 1282 रकबा 2.06 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 2.06 है0 में पक्षकारान के खातेदारी हिस्से के अनुसार सही पायी गई है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य है।

कार्यालय सहायक कलक्टर दौसा, जिला दौसा

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य भूमि ख.न. 1282 रकबा 2.06 है0 वाके ग्राम जसोता पटवार हल्का जसोता भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र जसोता तहसील दौसा का तकास्मा किये जाने के आदेश तहसीलदार दौसा को दिये जाते है। तहसीलदार दौसा कुर्रेजात अनुसार वादी व प्रतिवादीगण (फोत हुए प्रतिवादीगण के वारिसान की विधिक जांच कर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार) के मध्य तकास्मा कर राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद करना सुनिश्चित करें। कुर्रेजात उक्त फैसले का भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर की जावें।

अन्तिम निर्णय आज दिनांक 10-02-2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजू मीना)
सहायक कलक्टर
दौसा

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा